

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B.I.6299 /

जबलपुर, दिनांक ५/१२/२०१८

श्रीमती भूरी बाई, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्री के नोटिस क्रमांक ए/3073 दिनांक 06.09.18 एवं नोटिस क्रमांक ए/3929 दिनांक 26.10.18 के निर्देशानुसार अनाधिकृत अनुपस्थिति में अपने पति के इलाज से संबंधित चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 18.07.18 से 10.08.18 तक 24 दिवस अपने कर्तव्य पर बिना सूचना/आवेदन पत्र के अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अवधि का अवैतनिक किया जाता है।

सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B.I.6300 /

जबलपुर, दिनांक ५/१२/२०१८

प्रतिलिपि :-

- ✓ १. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
२. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
३. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
४. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
५. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
६. श्रीमती भूरी बाई, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

१२
(अजय पवार)
ज्याइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)